# अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील )

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल लाल माहेश्वरी निवासी 18 बरडिया कॉलोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर, राजस्थान ।

**अपीलार्थी**

बनाम

बिट्ठल दास माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल माहेश्वरी निवासी 18 बरडिया कालोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर, राजस्थान ।

**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2022 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 32/2022 ब उनवानी श्रीमती श्यामा देवी बनाम बिट्ठल दास माहेश्वरी

उपस्थित:–

1. अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित हैं।
2. प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।

**निर्णय** **दिनांक 25.07.2023**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 32/2022 ब उनवानी श्रीमती श्यामा देवी बनाम बिट्ठल दास माहेश्वरी में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 22 व 23 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 व नियम 21 राजस्थान अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम–2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 18.08.2022 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थिया लगभग 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जिसके पति स्व. श्री गोपाल दास माहेश्वरी का देहान्त दिनांक 13.05.2009 को हो चुका है। इस

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कारण अपीलार्थिया इस बुजुर्ग हालात एवं अस्वस्थ रहने के कारण अपना भरण पोषण एवं जीवन यापन करने में असक्षम है तथा पूर्णतया अपने पुत्रों पर आश्रित है। अपीलार्थिया के कुल 3 पुत्र कमशः (1) गोवर्धनदास माहेश्वरी (2) स्व॰ किशन दास माहेश्वरी एवं 3 विट्ठलदास माहेश्वरी है । किशनदास माहेश्वरी का दिनांक 05.06.2019 को स्वर्गवास हो गया। अपीलार्थिया की एक कम्पनी मैसर्स रागोविन्दम कृपा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जिसका रजिस्टर्ड पता 18, बरडिया कालोनी म्यूजियम रोड जयपुर पर है, के कुल 4,21,600 शेयर्स जो कि अपीलार्थिया के नाम पर अधिकृत है। प्रत्यर्थी के द्वारा गलत रूप से अपनी 90 वर्षीय बुजुर्ग व अस्वस्थ मॉ को विश्वास में लेकर और वृद्वावस्था में भरण पोषण एवं आवश्यक जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन धोखे से देते हुये उक्त शेयर्स के संबंध में गिफ्ट डीड दिनांक 05.08.215 को अपीलार्थिया की बीमारी व मानसिक अवस्था व वृद्व होने के कारण बहला फुसला कर अपने नाम करवा लिये। अपीलार्थिया के सबसे छोटे पुत्र बिट्ठलदास माहेश्वरी ने 2015 में अपीलार्थिया को बहल फुसला कर एवं वृद्वावस्था में भरण पोषण एवं सम्पूर्ण खर्चे की जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन दिया एव मॉ की संवेदनाओं का गलत फायदा उठाते हुये झूठे कथन कर कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिये। बाद में यह तथ्य जब अपीलार्थिया को पता चला की उक्त दस्तावेज एक गिफ्ट डीड है जो कि दिनांक 05.08.2015 को अपीलार्थिया के नाम दर्ज शेयर्स 4,21,600 प्रत्यर्थी ने छल कपट व अनावश्यक प्रभाव से अपने नाम करवा ली। जब अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी से तथ्य से संबंधित जानकारी ली तक प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि उक्त दस्तावेज एक गिफ्ट डीड है । तत्पश्चात प्रत्यर्थी ने अपीलार्थिया की भावनाओ और वृद्वावस्था का अनुचित फायदा उठाते हुये यह आश्वासन दिया कि प्रत्यर्थी, अपीलार्थिया की वृद्वावस्था में सेवा करेगा तथा उनकी सभी जरूरतो का ध्यान रखेगा । इस तरह छल कपट एवं धोखे से उक्त शेयर्स जो कि अपीलार्थिया के नाम अधिकृत थे तथा उक्त शेयर्स अपीलार्थिया के वृद्वावस्था एवं जीवनयापन के लिए आवश्यक थे उक्त शेयर्स के संबंध में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थिया से गिफ्ट डीड अपने पक्ष मे निष्पादित करवा ली। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थिया का भरण पोषण नहीं करने एवं अनिवार्य जरूरतों को पूरा नहीं करने पर अपीलार्थिया को बडा आश्चर्य हुआ एवं इस पर अपीलार्थिया द्वारा अपने पुत्र प्रत्यर्थी से माह जनवरी 2022 में कई बर्तबा सम्पर्क किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थिया के जरूरतों भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिनांक 31.01.2022 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थिया से बदसलूकी करते हुये जोर जबरदस्ती से अपीलार्थिया के कोठ्यार का बिना अनुमति के ताला खोल लिया तथा उसमें रखा अपीलार्थिया का पूजा पाठ तथा कुछ अन्य कीमती सामान निकाल लिया । प्रत्यर्थी ने सामान निकालने के पश्चात उस कोठ्यार पर कब्जा कर लिया तथा ताला लगा कर चाबी अपने पास रखली । इस प्रकार प्रत्यर्थी अपीलार्थिया को नियमित रूप से प्रताडित व बदसलूकी करता है। प्रत्यर्थी द्वारा कराई गई गिफ्ट डीड को निरस्त करवाने के लिए अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 व 23 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व नियम 21 राजस्थान अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसको अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 18.08.2022 को खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा धारा 23 सीनीयर सिटीजन एक्ट के प्रावधानों की सही रूप से समीक्षा नहीं की गई है । उक्त प्रावधान के तहत किसी भी सीनीयर सिटीजन द्वारा कोई सम्पत्ति गिफ्ट या अन्यथा हस्तान्तरित की जाती है एवं उक्त हस्तान्तरण का आशय रहा हो कि जिस व्यक्ति को उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति हस्तान्तरण की जा रही है बैसिक फिजिकल निड्स को ध्यान रखेगा एवं अगर ऐसा नहीं रखा गया तो उक्त अन्तरण " Deemed to have been made by fraud or Coercion or undue Insluence" समझा जायेगा । प्रस्तुत प्रकरण में यह अपीलार्थिया का स्पष्ट केस था कि उसके द्वारा जो जरिये गिफ्ट डीड दिनांक 05.08.2015 को 4,21,600 शेयरों का अन्तरण किया गया है, वह उसके भरण पोषण, खर्चो, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए व बैसिक एमिनिटीज व फिजिकल निडस के लिए किया गया है। प्रकरण के रिकार्ड से यह स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी से किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एमिनिटीज या बेसिक निड्स के लिए प्रत्यर्थी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया बल्कि उसका केस अधीनस्थ अधिकरण में यह था कि अपीलार्थिया को भरण पोषण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की असेसमेन्ट वर्ष 2019–2020 की इनकम टैक्स रिर्टन अपीलार्थिया की प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थिया की सालाना आय 38,400/– रूपये थे व असेसमेन्ट वर्ष 2020–2021 की इनकम टेक्स रिर्टन पेश की गई जिसमें अपीलार्थिया की सालाना आय 37,800/– रूपये थी। उस आधार पर बिना किसी ठोस कारण के अधीनस्थ अधिकरण द्वारा यह मान लिया गया कि इनकम टैक्स रिर्टन से यह साबित होता है कि अपीलार्थिया अपना भरण पोषण करने में सक्षम है जो कि उपने आप में ही गलत आधार है। अधीनस्थ अधिकरण का यह निष्कर्ष की राधे गोविन्द कृपा डवलपर्स प्रा.लि. के शेयर्स से प्रत्यर्थी को कोई लाभ या लाभांश नहीं प्राप्त हुआ गलत है । क्योंकि अपीलार्थिया द्वारा उक्त शेयर 60/–रूपये प्रति शेयर की दर से खरीदा या था और जिससे कि उन शेयरों की कीमत करीब 2,50,00,000/–रूपये थी। अतः किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता था कि उक्त शेयर्स से प्रत्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ या लाभांश प्राप्त नही हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थिया की ओर से निष्पादित गिफ्ट डीड दिनांक 05.08.2015 को शून्य घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी के प्रतिनधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 4 के अन्तर्गत माता पिता को सम्मलित करते हुये वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, को श्रीमान के समक्ष भरण पोषण की अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी उत्तरदाता की माता जो कि लगभग 92 वर्ष की है को प्रत्यर्थी के बडे भाई श्री गोवर्धन दास माहेश्वरी द्वारा बरगला कर व मुगालते में रख कर उक्त अपील प्रस्तुत करवाई है। जिसमें अप्रार्थी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है । यहां यह भी बताया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी की माता नियमित रूप से आयकर भरती आ रही है। जिसमें वर्ष 2019–2020 की आयकर विवरिणका के अनुसार उन्हें ट्रासपोर्ट नगर स्थित सम्पत्ति से 54,000/–रूपये प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। उनकी अन्य सम्पत्तियों में बरडिया कॉलोनी की सम्पत्ति का मूल्यांकन 13,62,600/–रूपये सावधि जमा में 1,16,646/–रूपये पी पी एफ खाते में 7,77,000/–रूपये अलग अलग कम्पनी के शेयरों में करीब 1, 50,000/–रूपये का निवेश Cash in Hand की राशि करीब 4,82,798/–रूपये पृथक पृथक तीन खातों में करीब 40,000/–रूपये की राशि राधे गोविन्द कृपा डवलपर्स कम्पनी में अप्रार्थी की माता के हिस्से में जो शेयर्स है उनका मूल्यांकन करीब 1,68,09,000/–रूपये है तथा इसके अलावा श्रीमती श्यामादेवी द्वारा अप्रार्थी को गिफ्ट दिये गये शेयर्स का हवाला अपनी आयकर रिटर्न वर्ष 2019–2020 में भी दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसका मूल्यांकन आयकर रिटर्न के हिसाब से 2,52,96,000/–रूपये था । इसके अलावा करीब 55 लाख रूपये और अन्य सम्पत्तियो में है, इसके अलावा उत्तरदाता की पत्नी श्रीमती सीमा माहेश्वरी द्वारा अप्रार्थी की माता जी को 12,68,000/–रूपये की राशि भी प्रदान की गई थी। जो कि अप्रार्थी की माताजी की आईटीआर रिटर्न में दर्ज की गई जो आयकर रिटर्न 2019–2020 व 2020–2021 में दर्शित है। इस प्रकार प्रत्यर्थी की माता किसी भी प्रकार से धारा 4 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पेश करने की अधिकारीनी नहीं है ओर न ही यह अपील कानूनी रूप से पोषणीय है, परन्तु फिर भी प्रत्यर्थी उत्तरदाता अपनी माता को हर प्रकार से किसी भी राशि का भरण पोष्ण करने हेतु राशि प्रदान करने व उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहा है व रहेगा । अपीलार्थिया ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23(1) के अन्तर्गत गिफ्ट डीड दिनांक 05.08.2015 को निरस्त करने व शून्य करने का जो अनुतोष चाहा जा रहा है वह प्रत्यर्थी पर लागू ही नहीं होता । क्योंकि उक्त गिफ्ट डीड में कहीं भी अपीलार्थीया द्वारा प्रत्यर्थी को शेयर्स किसी प्रकार की कोई शर्त पर ट्रान्सफर करने का जिक्र नही है। उक्त सूज बूझ के साथ दिनांक 05.08.2015 को किए गए पारिवारिक समझोते के तहत निष्पादित की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप स्वतः (By Default) अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उक्त गिफ्ट डीड निस्पादित की गई है। अपीलार्थिया द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) के अन्तर्गत गिफ्ट डीड दिनांक 05.08.2015 को निरस्त करने व शून्य करने का जो अनुतोष चाहा जा रहा है वह प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होता है। क्योकि उक्त गिफ्ट डीड में कहीं भी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को शेयर किसी प्रकार की कोई शर्त पर ट्रान्सफर करने का जिक्र नही है। उक्त सूझ बूझ के साथ दिनांक 05.08.2015 को किए गये पारिवारिक समझोते के तहत निष्पादित की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप स्वत ( By Default) अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उक्त गिफ्ट डीड निष्पादित की गई है। अपीलार्थिया की कम्पनी राधा गोविन्द कृपा डवलपर्स प्राईवेट लि॰ के वर्ष 2015 में 4,21,600 Equity Share अपीलार्थिया श्रीमती श्यामा देवी के नाम अधिकृत थे जिसकी वास्तविकता यह है कि दिनांक 05.08.2015 को अपीलार्थिया ने एक पारिवारिक समझोते के तहत परिवार द्वारा बनायी गई विभिन्न कम्पनियों व फर्मो में गोवर्धन दास माहेश्वरी, किशनदास माहेश्वरी व बिट्ठलदास माहेश्वरी का हक व अधिकार है, जिनके आपसी परिवारिक समझोते के अन्तर्गत बांटना व सम्पत्तियों का विभाजन करना तय किया गया जिसके अनुशरण में तीनों भाईयों व नवनीत माहेश्वरी पुत्र श्री गोवर्धनदास माहेश्वरी द्वारा हस्ताक्षरित कर पारिवारिक समझौता पत्र तैयार किया गया। जिसके अनुशरण मं शेयर जरिये गिफ्ट डीड दिये गये है। प्रत्यर्थी ने जर्मनी की नागरिकता स्वीकार ली थीं तब से वहीं निवास करता आ रहा है और केवल मात्र व्यापार के संबंध में, अपनी माता व अपने परिवारजनों से मिलने के लिए कभी कभार आते है और यह कहना कतई गलत है कि प्रत्यर्थी अपनी माता के साथ बदसलूकी या कमरे की चाबी के लिए किसी प्रकार की जोर जरबदस्ती करता है। इसलिए प्रत्यर्थी के पक्ष में शेयर्स बाबत की गई गिफ्ट को शून्य कराने की अधिकारी नहीं है। अपील के अवलोकन मात्र से स्पट है कि प्रत्यर्थी के भ्राता गोवधर्न दास व उसके पुत्र नवनीत माहेश्वरी द्वारा अपीलार्थिया को बहलाया फुसलाया गया है एवं अपीलार्थिया पर असम्यक असर डाला गया है ताकि अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी को प्राकृतिक स्नेह और प्रेम से पारिवारिक सैटलमेन्ट के तहत गिफ्ट डीड के जरिये भेंट किए गए शेयर्स को अनुचित रूप से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपने लालच भरे आशय के तहत प्राप्त कर सके। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व दस्तावेजा व साक्ष्य का जागरूक न्याय संगत रूप से अवलोकन कर अपीलार्थिया की अपील को दिनांक 18.08.2022 को निर्णित कर खारिज किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा धारा 23 की अपनी मनमर्जी व सहूलियत अनुसार व्याख्या की गई है। जब धारा 23 उक्त प्रकरण मे लागू ही नहीं होती है तो बार बार तोड मरोड कर तथ्यों को प्रस्तुत कर मात्र अपने गूढ मंसूबे में अपीलार्थिया की आड में अन्य लोग कामयाब होना चाहते है जिसका अंदेशा प्रत्यर्थी को काफी समय से है और सम्भवत इसी मंसूबे को अधीनस्थ अधिकरण ने पहचान व भांप लिया था जिसके चलते अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। गिफ्ट डीड एक पारिवारिक समझोते के तहत निष्पादित की गई है। जिस बाबत किसी प्रकार कोई शर्त अथवा वादा नहीं किया गया था। जिसके चलते धारा 23 (1) उक्त प्रकरण मे लागू नही होती है। जो शेयर्स पारिवारिक समझौता के तहत अपीलार्थिया की ओर से प्रतत्यर्थी को गिफ्ट डीड के जरिये ट्रान्सफर किये गये है वह सभी परिवारजन की सहमति व सूझ बूझ का इस्तेमाल कर हर स्थिति व परिस्थिति को ध्यान मे रखने के बाद ट्रान्फसर किये गये है। यदि ट्रान्सफर गलत है तो सम्पूर्ण परिवारिक समझौता भी निरस्तनीय है सिजका क्षेत्राधिकार मान्य अधिकरण को नहीं है। अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य भी उक्त प्रकरण के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है एवं उनका इस प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते हे। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपनी अपने शेयर्स बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में की गई गिफ्ट डीड को प्रभाव शून्य किये जाने का अनुतोष चाहा है। इस अधिनियम की मन्शा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा किया जाना है। अधिनियम की धारा (2) (F) में सम्पत्ति की परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है– "Property"- means property of any kind, whether movable or immovable, ancestral or self acquired, tangible or intangible and includes rights or interests in such property . माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है–Section 23. **Transfer of property to be void in certain circumstances–** (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत गिफ्ट डीड को प्रभाव शून्य किये जाने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अतः गिफ्ट डीड शून्य करने के मामले पर उभय पक्ष को पुनः सुन कर निर्णय करना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के अपीलाधीन आदेश 18.08.2022 को अपास्त किया जाता है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

0. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित )
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner